



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00103
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00319
अपीलकर्ता श्री चाँद सिंह



आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.08.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.08.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.08.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.09.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	04.09.2024
निर्णय की तारीख	04.10.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.08.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

"1.) कृपया जानकारी दें कि No: 55/RTI/24-25/Misc./RN/2960 Dated 05-07-2024 का पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि प्राप्त हुआ है, तो उसकी स्थिति और प्राप्ति की तिथि की जानकारी प्रदान करें।

2.) कृपया जानकारी दें कि No: 55/RTI/24-25/Misc./RN/2960 Dated 05-07-2024 के पत्र के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई उचित कार्यवाही की पूरी जानकारी और प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 28.08.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई :-

"The letter dated 05.07.2024 alongwith letter dated 28.06.2024 has been received in the Commission and the same has been linked with the concerned file no. CIC/REVPD/A/2023/113693."

3. प्रथम अपील का आधार

"मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्रारंभिक अनुरोध के माध्यम से मांगी गई पूरी और सही जानकारी मुझे जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।"

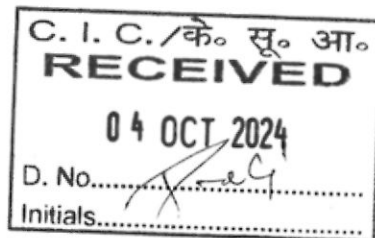
4. निर्णय

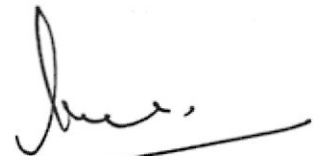
आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई.आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00319 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं 1 द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु अपीलकर्ता ने 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा केवल बिंदु सं 1 की ही सूचना प्रदान की गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (डाक सेक्शन) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00319 के तहत मांगी गई बिंदु सं 2 की सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 04.10.2024




(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) डाक सेक्शन, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2.) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

